बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 126 ● नई दिल्ली ● शुक्रवार 27 फरवरी 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के पास खुलेंगी 40 नई अटल कैंटीन, मरीजों को मिलेगी राहत

नई दिल्ली। मरीजों और उनके तिमारदारों की सुविधा के लिए दिल्ली सरकार सरकारी अस्पतालों के पास 40 अटल कैंटीन खोलने की योजना बना रही है। इन कैंटीनों का संचालन समय बढ़ाकर सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक किया जाएगा। वर्तमान व्यवस्था में अटल कैंटीन में दोपहर का भोजन पूर्वाह्न 11:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक और रात का भोजन शाम 6:30 बजे से रात 9 बजे तक मिलता है। प्रस्तावित अस्पतालों से जुड़ी कैंटीन 12 घंटे खुली रहेंगी। वर्तमान में दिल्ली में 71 अटल कैंटीन हैं। इन कैंटीन की सफलता और अस्पतालों में आने वाले गरीब लोगों की समस्या को देखते हुए सरकार अस्पतालों के आसपास कैंटीन खोलने की योजना पर विचार कर रही है।

राजधानी में बढ़े जानलेवा हादसे, केंद्र सरकार ने मांगी रिपोर्ट; सर्वे से पता चलेगा कारण

नई दिल्ली ।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ी गंभीर सड़क दुर्घटनाओं ने दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के साथ केंद्र सरकार को भी सकते में डाल दिया है। दिल्ली में 2016 के बाद गंभीर सड़क हादसों में (ऐसी दुर्घटनाएं जिसमें मौत होती हैं, फेटल एक्सीडेंट) वर्ष 2025 में बढ़ी हैं। वर्ष 2024 के मुकाबले वर्ष 2025 में फेटल एक्सीडेंट में 4.26 फीसदी बढ़ी है। ऐसे में केंद्र सरकार ने दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को बढ़ती जानलेवा दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिए आदेश दिए हैं। दिल्ली पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त (ट्रैफिक डिवीजन) नीरज ठाकुर ने बताया कि केंद्र सरकार के आदेश पर सेव फाउंडेशन ऑफ इंडिया नामक एनजीओ से सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे में ये देखा जाएगा कि आखिर दिल्ली में गंभीर सड़क दुर्घटनाएं क्यों बढ़ी हैं।

इनके कारण क्या हैं, सड़कों में क्या कमी है, वाहन दिल्ली की सड़क पर किस तरह से दौड़ रहे हैं, जो दुर्घटनाएं हो रही हैं। दिल्ली पुलिस के उपायुक्त (ट्रैफिक डिवीजन) एस के सिंह ने बताया कि एनजीओ को जल्द ही रिपोर्ट देने को कहा है। विशेष पुलिस आयुक्त ने बताया कि इसके अलावा दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जाम वाले 62 डार्क स्पॉट का पता लगाया है। इनमें से ट्रैफिक पुलिस ने 30 जगहों को प्रमुखता पर रखा है। साथ ही इन जगहों पर खामियों को लेकर संबंधित एजेंसियों को लिख दिया गया है। दिल्ली सरकार को भी इस बारे में

जानकारी दे दी गई है और दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव इस बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इनमें जाम वाली जगह यादा है। जाम के चलते भी दुर्घटनाएं होती हैं। 7 वर्षों में सबसे यादा सड़क हादसे ?पिछले वर्ष दिल्ली में सड़क हादसों में 1600 से अधिक लोगों की जान गई थी, जो पिछले सात वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी में दर्ज की गई की गई मौतों में सबसे अधिक है। 31 दिसंबर तक सड़क दुर्घटना आंकड़ों के तुलनात्मक विश्लेषण के अनुसार दिल्ली में 2025 में 1578 घातक सड़क हादसों में 1617 लोगों की मौत हुई। यह 2019 के बाद से सबसे अधिक मौतें हैं। वर्ष 2024 में 1504 घातक हादसों में 1551 लोगों की मौत हुई है।

प्रतिशत के हिसाब से घातक हादसों में 4.92 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि मौतों में पिछले वर्ष की तुलना में 4.26 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। आंकड़ों से पता लगता है कि सड़क दुर्घटनाओं की कुल संख्या में मामूली वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2024 में 5657 से बढ़कर 2025 में 5689 हो गई है। सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों की संख्या 1.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो 2024 में 5224 से बढ़कर 2025 में 5314 हो गई। विपरीत गैर चोट वाली दुर्घटनाओं में 27.4 प्रतिशत की भारी गिरावट आई है। ये वर्ष 2024 में 84 मामलों से घटकर 2025 में 61 रह गई है। मालूली चोटों वाली दुर्घटनाओं में भी मामूली गिरावट आई है। यह 4069 मामलों से घटकर 4050 आ गई है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मानते हैं कि सड़क हादसों में बढ़ती मौतें ट्रैफिक के घनत्व में बढ़ोत्तरी, वाहनों की औसत गति में बढ़ोत्तरी, शराब पीकर वाहन चलाना, ओवर स्पीडिंग, लाल बत्ती जंप करना और बिना हेलमेट व सीट बेल्ट के बिना वाहन चलाना को मानते हैं। हालांकि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस स्कूलों, संस्थाओं में जागरूकता अभियान, सड़कों पर नुक्कड़ नाटक, सभी वाहनों के ड्राइवरों को बुलाकर उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है।

पुलिस थानों में खराब सीसीटीवी पर सख्त कोर्ट, केंद्र को बैठक में शामिल होने के निर्देश; 14 मार्च को अहम मीटिंग

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरों की कमी को लेकर केंद्र सरकार और अन्य पक्षों को निर्देश दिया है कि वे एक केंद्रीयकृत डैशबोर्ड और सीसीटीवी मानकीकरण से जुड़ी बैठक में अनिवार्य रूप से भाग लें। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे द्वारा दी गई दलीलों के बाद यह आदेश पारित किया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने यह आदेश एमिकस क्यूरी (न्यायालय का मित्र) वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे की दलील पर दिया। दवे ने बताया कि 21 फरवरी को हुई बैठक में केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और कुछ राय शामिल नहीं हुए, जिससे रिपोर्ट दाखिल नहीं हो सकी। इस दलील पर ध्यान देते हुए कोर्ट ने आदेश दिया कि भारत सरकार के वकील ने पहले ही क्षमा

मांग ली है कि संचार में कुछ गड़बड़ी के कारण वे बैठक में शामिल नहीं हो सके। हालांकि, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि अगली बैठक में वे पूरा सहयोग देंगे। पीठ ने कहा कि अतिरिक्त मित्र ने बैठक के लिए 14 मार्च, 2026 की तारीख सुझाई है। बैठक पहले दिए गए निर्देशानुसार 14 मार्च, 2026 को आयोजित की जाए। कोर्ट ने कहा कि अगली बैठक 14 मार्च 2026 को होगी और सभी पक्षों को सहयोग करना होगा। मामले की अगली सुनवाई 23 मार्च को तय की गई है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में पुलिस थानों में मानवाधिकार उल्लंघन रोकने के लिए सीसीटीवी लगाने का आदेश दिया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए पुलिस स्टेशनों में कार्यात्मक सीसीटीवी कैमरों की कमी को लेकर स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दर्ज करने का निर्देश दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 में मानवाधिकारों के हनन की जांच के लिए पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया था। दिसंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को सीबीआई, ईडी और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) सहित जांच एजेंसियों के कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण लगाने का निर्देश दिया था। इसमें कहा गया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक पुलिस स्टेशन में, सभी प्रवेश और निकास बिंदुओं पर, मुख्य द्वार पर, लॉक-अप में, गलियारों में, लॉबी और रिसेप्शन में, साथ ही लॉक-अप कमरों के बाहर के क्षेत्रों में भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं ताकि कोई भी हिस्सा बिना सुरक्षा के न रह जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीसीटीवी सिस्टम में नाइट विजन की सुविधा होनी चाहिए और उसमें वीडियो के साथ-साथ ऑडियो फुटेज भी होनी चाहिए। अदालत ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ऐसे सिस्टम खरीदना अनिवार्य कर दिया है, जो कम से कम एक वर्ष तक डेटा स्टोर करने की सुविधा प्रदान करते हों।

एआई समिट को बदनाम करने के लिए दी 40 हजार की सुपारी, बीजेपी का आरोप- कांग्रेस ने रची खुंखार साजिश

नई दिल्ली । भारत में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट अब केवल तकनीक और नवाचार का केंद्र नहीं, बल्कि एक बड़े राजनीतिक युद्ध का अखाड़ा बन गई है। यूथ कांग्रेस के सदस्यों द्वारा किए गए शर्टलेस प्रोटेस्ट के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने एक चौंकाने वाला दावा किया है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने इस अंतरराष्ट्रीय इवेंट की छवि खराब करने के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देकर एक नेगेटिव पीआर कैंपेन चलाया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहज़ाद पूनावाला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए इसे एक सुनियोजित साजिश करार दिया। पार्टी के मुताबिक, कांग्रेस PR टीम के सदस्यों ने इन्फ्लुएंसर्स से संपर्क किया और समिट को फेल दिखाने वाले कंटेंट के बदले 10,000 रुपये से 40,000 रुपये तक के पेमेंट का प्रस्ताव दिया। एक्स पर बात करते हुए, बीजेपी के नेशनल स्पोक्सपर्सन शहज़ाद पूनावाला ने दावा किया कि कांग्रेस ने एआई समिट और भारत को बदनाम करने के लिए एक कैंपेन चलाया, जिसमें इन्फ्लुएंसर्स को इवेंट की बदनामी करने के लिए पैसे दिए गए। उन्होंने पोस्ट में लिखा, कांग्रेस का पैसा लो, एआई समिट, भारत बदनाम करो मॉडल। कांग्रेस इकोसिस्टम ने एआई समिट की बुराई करने के लिए पैसे दिए? बीजेपी विरोध में देश विरोध? शर्टलेस एक्ट के बाद, अब यह कई इन्फ्लुएंसर्स के पब्लिकली यह दावा करने के बाद विवाद और बढ़ गया कि उन्हें ऐसे ऑफर मिले थे। ऑनलाइन शेयर किए गए वीडियो में, उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस से जुड़े लोगों ने उनसे इवेंट की बुराई करने वाला स्क्रिप्टेड कंटेंट बनाने के लिए कहा था। उनमें से कुछ ने कहा कि उनके पास कथित फाइनेंशियल डील के सबूत के तौर पर चैट मैसेज और ऑडियो रिकॉर्डिंग हैं।

जादूगरी ऐसी कि स्पेशल 26 याद आ जाए! दिल्ली में मेड ने कैसे कराई ईडी की फर्जी रेड

नई दिल्ली । दिल्ली के पॉश इलाके में हुई इस फेक रेड ने सबको हैरान कर दिया है, क्योंकि यहां विलेन कोई बाहरी नहीं, बल्कि घर के अंदर छिपी विभीषण निकली. वर्दी, फर्जी आईडी कार्ड और रौबदार अंदाज के साथ आए फर्जी अधिकारियों ने घर के लोगों को डराकर लाखों के माल पर हाथ साफ कर दिया. पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस की मदद से इस पूरी फिल्मी लूट का पर्दाफाश किया है. आइए बताते हैं कि कैसे घर में काम करने वाली एक मेड ने इतनी शातिर जालसाजी कर डाली और ये फेक रेड कैसे हुई. दिल्ली पुलिस के अनुसार, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के डी-ब्लॉक इलाके में रहने वाले 86 साल के रिटायर्ड सीनियर आर्किटेक्ट आर.सी. सबरवाल के घर फर्जी रेड हुई. पुलिस की वर्दी पहने तीन लोग घर में घुसे और खुद को ईडी अफसर बताकर तलाशी शुरू कर दी. उन्होंने घरवालों को डरा-धमका कर मोबाइल फोन तक छीन लिए. ईडी के फर्जी अफसर अपनी बलेनो कार में सवार होकर आए थे. ये कार इस गिरोह के एक सदस्य उपदेश सिंह थापा के नाम पर ही रजिस्टर है. अपराधी पूरी तैयारी के साथ आए थे. उन्होंने ITBP डिप्टी कमांडेंट की वर्दी सहित पुलिस का यूनिफॉर्म पहना हुआ था.उनके पास फर्जी आईडी कार्ड और वायरलेस हैंडसेट भी थे, ताकि किसी को उन पर शक न हो. इस वारदात का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह था कि घर की मेड रेखा देवी ने ही सारी जानकारी अपराधियों को दी थी. उसने अपने साथियों को घर में मौजूद सदस्यों की संख्या, उनके डेली रूटीन और कीमती सामान के ठिकाने के बारे में पहले ही बता दिया था. आरोपियों ने परिवार के सदस्यों को एक कमरे में बंद कर दिया ताकि कोई पुलिस को जानकारी न दे सके. फर्जी अफसर घर में लूट मचाते रहे. इसी दौरान पीड़ित के पोते को शक हुआ तो उसने सवाल जवाब करना शुरू कर दिया. इसके बाद तीनों आरोपी 3-4 लाख नकद और 7 लग्जरी घड़ियां लेकर मौके से फरार हो गए.

सीएम रेखा गुप्ता ने किया IFFD का आधिकारिक लोगो लॉन्च, दिल्ली में होगा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल

नई दिल्ली ।दिल्ली में पहली बार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ दिल्ली का आयोजन 25 से 31 मार्च तक होगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने उद्घाटन किया और फेस्टिवल का लोगो लॉन्च किया। कार्यक्रम में अर्जुन कपूर, दिव्या दत्ता, निमरत कौर समेत कई बॉलीवुड सितारे शामिल हुए। फेस्टिवल में 100 से अधिक देशों की फिल्में प्रदर्शित होंगी और दिल्ली के विभिन्न इलाकों में भारतीय भाषाओं की स्क्रीनिंग भी होगी। लॉन्च इवेंट में बॉलीवुड के कई बड़े कलाकारों ने शिरकत की। कार्यक्रम में शामिल हुए प्रमुख सितारों में अर्जुन कपूर, मनोज जोशी, राकेश ओमप्रकाश मेहरा, दिव्या दत्ता और निमरत कौर प्रमुख थे उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने फिल्मों के प्रति अपने लगाव के बारे में बताया। उन्होंने 1996 में दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में आमिर खान की फिल्म सरफरोश की शूटिंग के अनुभव को याद किया। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि फेस्टिवल में बड़े सभागारों के अलावा दिल्ली की विभिन्न बस्तियों में स्क्रीनिंग आयोजित की जाएगी। इसमें पंजाबी, गुजराती, तमिल, तेलुगु समेत कई भारतीय

भाषाओं की फिल्में दिखाई जाएंगी। पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि इस फेस्टिवल में 100 से यादा देशों की फिल्में प्रदर्शित होंगी। उन्होंने कहा कि फेस्टिवल की रिव्यू कमिटी ने पहले ही चयनित फिल्मों का विश्लेषण शुरू कर दिया है। अभिनेत्री निमरत कौर ने इस अवसर पर कहा कि दिल्ली ने उनके अभिनय करियर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने यह भी साझा किया कि ऐसे फिल्म फेस्टिवल व्यक्तिगत कहानियों को वैश्विक दर्शकों तक पहुँचाने का अवसर प्रदान करते हैं।

नेहरू के कार्यालय में सक्रिय थे विदेशी जासूस- संबित पात्रा

नई दिल्ली । आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट को लेकर जारी खींचतान के बीच, भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि नेहरू ने हमेशा एक ब्रिटिश की तरह व्यवहार किया और जानबूझकर ऐसी गलतियां कीं जिससे देश की सुरक्षा और हितों के साथ समझौता हुआ। नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, पार्टी सांसद संबित पात्रा ने नेहरू काल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि उस समय भारत का सचिवालय विदेशी खुफिया एजेंसियों का अड्डा बन गया था। पात्रा ने आरोप लगाया कि नेहरू के विशेष सहायक एम.ओ. मथाई एक अमेरिकी एजेंट के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने दावा किया कि 1960 के दशक में रूस की खुफिया एजेंसी KGB के एजेंट भी नेहरू के कार्यालय में सक्रिय थे। भाजपा प्रवक्ता ने कहा, उस समय यह कहा जाता था कि विदेशी शक्तियों को जो भी गुप्त दस्तावेज चाहिए होते थे, वे नेहरू के कार्यालय से आसानी से उपलब्ध हो जाते थे। उन्होंने कहा, CIA की समझौता किए गए चाचा के सेक्रेटेरिएट में इतनी मज़बूत पकड़ थी

कि उनके स्पेशल असिस्टेंट या स्पेशल सेक्रेटरी, जिनका नाम MO मथाई था, को अमेरिकन एजेंट कहा जाता था और 1960 के दशक में, चलक्क जो एक रशियन एजेंसी है, के एजेंट भी चाचा समझौता किए गए के ऑफिस में मौजूद रहते थे। उन्होंने आगे कहा, तो चाहे MO मथाई हों या KGB के एजेंट, CIA और KGB की चाचा नेहरू के ऑफिस में मज़बूत पकड़ थी, और 1960 और 1970 के दशक में, नेहरू के राज के बारे में कहा जाता था कि विदेशी सरकार को जिस भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती थी, वह रूस और रूस के लिए आसानी से मिल जाता था।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, पात्रा ने आरोप लगाया कि पंचशील समझौते के तहत तिब्बत चीन को गिफ्ट कर दिया गया था।

उन्होंने दावा किया कि नेहरू को IB ने अक्साई चिन में चीन द्वारा सड़क बनाने के बारे में बताया था, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री ने इसे पूरी तरह से नज़रअंदाज़ कर दिया। पात्रा ने कहा कि नेहरू चीन को बचाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने 1962 के युद्ध में चीन से भारत की हार के लिए भी नेहरू को दोषी ठहराया, क्योंकि उन्होंने अपने रिश्तेदार जनरल बीएम कौल को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त किया था और फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई थी। पात्रा ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल सरकार को बताए बिना, नेहरू ने बेरुबारी पाकिस्तान को गिफ्ट कर दिया था। बीजेपी नेता ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद, नेहरू ने 9वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ज़रिए बेरुबारी पाकिस्तान को दे दिया, और कहा कि उस समय उनके किए गए समझौतों की वजह से भारत अब परेशान है।

केरला से केरलम्

स्वतन्त्र भारत में स्थानों का नाम बदलने की एक खासी परंपरा और ताजा इतिहास रहा है जिसकी वजह मूल रूप से यह रही है कि भारत के लगभग एक हजार वर्ष लम्बे समय तक परतन्त्र रहने के कारण यहां विदेशी शासन की छाप रही। इसमें से यदि हम मुस्लिम आक्रान्ताओं के दौर-ए-हुकूमत को छोड़ भी दें तो अंग्रेजों के दो सौ वर्ष के शासन के दौरान इस देश के प्रमुख सांस्कृतिक व मूल ऐतिहासिक स्थानों के नाम उनकी अपनी सुविधानुसार बदले गये। आजादी मिलने पर हमने इस तरफ ध्यान तो दिया मगर कुछ ऐसे स्थानों को छोड़ दिया जिनका सम्बन्ध भारत की आधारभूत सांस्कृतिक विविधता के उन अवयवों से जुड़ता था जिसकी वजह से यह देश विभिन्न संस्कृतियों का समागम स्थल बना था। इस सिलसिले में पहली आवाज दक्षिण भारत के राय तमिलनाडु से उठी थी और आन्ध्र प्रदेश का गठन हुआ था। उसके बाद उत्कल से जहां उड़ीसा का गठन हुआ और 1967 तक 1956 में राय पुनर्गठन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद नाम बदले पर विराम लगा रहा परन्तु स्वतन्त्र भारत में आज के तमिलनाडु राय को 1967 तक 'मद्रास' के नाम से जाना जाता था परन्तु इस वर्ष हुए आम चुनावों में राय विधानसभा में पहली बार क्षेत्रीय पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कषगम को अपार सफलता मिली और इसकी सरकार बनी जिसकी कमान स्व. सी. अन्नादुरै के हाथ में थी। उन्होंने अपने राय का नाम मद्रास से बदल कर तमिलनाडु करने का प्रस्ताव विधानसभा में पारित कराया जिसे तत्कालीन केन्द्र सरकार ने स्वीकृति प्रदान दी। तमिलनाडु के बाद 70 के दशक में दक्षिण के ही एक अन्य राय वर्तमान में कर्नाटक का नाम 'मैसूर' से बदल कर कर्नाटक किया गया। यह कार्य कांग्रेस पार्टी के ही नेता रहे स्व. देवराज अर्स ने किया। उन्होंने क्षेत्रीय सांस्कृतिक अस्मिता के मुद्दे पर अपने राय का नाम बदला। केन्द्र की तत्कालीन सरकारों ने राय के लोगों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अपनी ओर से स्वीकृति देने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। इसके बाद जब 2000 में केन्द्र में वाजपेयी सरकार ने तीन रायों उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश व बिहार का विभाजन किया तो तीन नये रायों क्रमशः उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ व झारखण्ड का उदय हुआ। मगर 2007 में उत्तरांचल के लोगों की इच्छा को देखते हुए इस राय का नाम बदल कर उत्तराखंड किया गया। इसके बाद लगभग आठ वर्ष पहले ही उड़ीसा राय का नाम आधिकारिक तौर पर ओडिशा किया गया। मगर इन प्रमुख रायों का नाम बदले जाने के साथ ही देश के प्रमुख महानगरों के नामों में भी परिवर्तन हुए हैं जैसे बम्बई का नाम बदल कर 1995 में मुम्बई किया गया और 2001 में कलकत्ता का नाम कोलकाता किया गया। इसके साथ ही तमिलनाडु की राजधानी मद्रास का नाम भी तमिल संस्कृति के प्रादुर्भाव को देखते हुए बदल कर चेन्नई कर दिया गया। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में भी कई शहरों के नाम बदले गये जिनमें सबसे प्रमुख नाम इलाहाबाद व फैजाबाद है। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया गया और फैजाबाद का अयोध्या। इसी क्रम में आठ वर्ष पहले से प. बंगाल की ममता सरकार ने अपने राय का नाम बदल कर 'बांग्ला' किये जाने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास भेज रखा है।

इसी सिलसिले में पहले 2023 में और फिर 2024 में केरला राय की वामपंथी सरकार ने विधानसभा से प्रस्ताव पारित करा कर केन्द्र सरकार के पास भेजा कि उनके प्रदेश का नाम 'केरलम' कर दिया जाये। यह प्रस्ताव तभी से केन्द्र के विचाराधीन था जिसे अब मोदी सरकार ने अपनी सहमति देकर वापस राय विधानसभा की स्वीकृति के लिए भेज दिया है। इसके स्वीकार हो जाने पर संसद इस पर अपनी मुहर लगा कर इसे राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज देगी और इसके बाद से केरला आधिकारिक रूप से 'केरलम' कहलाया जाने लगेगा। भारत में स्वतन्त्रता के बाद रायों के पुनर्गठन का काम 1956 में किया गया था। इसके लिए तत्कालीन प. नेहरू की सरकार ने बाकायदा एक आयोग का गठन किया था जिसने यह पाया कि इस देश में रायों के गठन का आधार केवल भाषा ही हो सकती है। अतः एक जैसी भाषा का प्रयोग करने वाले क्षेत्रों का समागम करके 1 नवम्बर 1956 को 15 रायों का गठन किया गया। केरल राय भी इससे पहले त्रावनकोर, कोचि व मालाबार के इलाकों में विभाजित था हालांकि 1949 में कोचि व त्रावनकोर का समागम हो गया था परन्तु राय पुनर्गठन आयोग ने पाया कि इन तीनों ही क्षेत्रों में मलयालम भाषा बोली जाती है अतः इन तीनों को मिला कर उसने 'केरला' राय का गठन किया। वास्तव में मलयालम भाषा में अलम् शब्द का अर्थ भू भाग से होता है। पूरे राय में नारियल के पेड़ों की अधिकता है अतः मलयाली भाषा के अनुसार नारियल के पेड़ों की धरती इसका तात्पर्य हुआ लेकिन नाम भी कभी अकारण नहीं बदले जाते बल्कि इनके पीछे भी वैज्ञानिक सोच का होना जरूरी होता है। यह विज्ञान उस क्षेत्र की अपनी संस्कृति और अस्मिता का होता है। इस मामले में अगर हम इलाहाबाद और फैजाबाद को लें तो हमें इन स्थानों की अस्मिता में भारतीयता की गहरी सांस्कृतिक पहचान का पता चलेगा जिनका सारगर्भित चरित्र हिन्दू संस्कृति में दर्शाया जाता है। इसी प्रकार केरला राय को अगर वहां की वामपंथी सरकार केरलम् कहलाना पसन्द करती है तो निश्चित रूप से यह भारत के उस सांस्कृतिक तत्व की महत्ता को स्वीकार करती है जिसके साथ इस क्षेत्र के लोगों का गहरा जुड़ाव स्वाभाविक तौर पर रहता है। इसी प्रकार जब 2001 में कलकत्ता का नाम बदल कर कोलकाता किया गया था तो वहां भी वामपंथी सरकार थी। इससे यही सिद्ध होता है कि अन्ततः वामपंथी सोच के नायकों को भी भारत की मूल सांस्कृतिक चेतना के आगे नतमस्तक होना पड़ रहा है लेकिन इसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर कोई है तो वह 1947 में भारतीय भू भाग के दो भाग होने का है जिसमें एक हिस्से को पाकिस्तान कहा गया और दूसरे को भारत जबकि इससे पहले हिन्दोस्तान शब्द प्रचलित था। भारत इस देश की ऐतिहासिक सांस्कृतिक पहचान को ही दर्शाता था जिसका उल्लेख विभिन्न पुरातन शास्त्रों व साहित्य में मिलता है।

सिख संस्थानों से सेवा करने वालों का मोह भंग

सिखों को गुरु साहिबान से मिली प्रेरणा के चलते सिख समाज सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहता है और अक्सर देखा जाता है कि किसी भी सिख के पास कोई संस्थान या व्यक्ति सेवा के लिए गया तो वह अपनी सामर्थ्यता अनुसार सेवा में भरपूर योगदान देता है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि दसवंद यानी सिख समाज गुरु जी की शिक्षा के मुताबिक अपनी कमाई में से दसवंद निकालता है जिसका इस्तेमाल जरूरतमंदों पर खर्च किया जाता है, मगर आजकल सिख संस्थानों में बढ़ते भ्रष्टाचार या फिर उनके दिए हुए दसवंद को जब वह देखते हैं कि उसका इस्तेमाल सही ढंग से खर्च नहीं हो रहा तो उनका सेवा से विश्वास उठना स्वाभाविक है। दिल्ली के प्रसिद्ध समाजसेवी एम.एम. पाल सिंह गोल्डी के साथ भी ऐसा ही एक वाक्या हुआ जिसके बाद से उन्होंने सिख संस्थानों को सेवा देना बंद कर दिया। असल में उन्होंने करीब 10 वर्ष पूर्व दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी को कैंसर की रोकथाम हेतु 50 लाख की लागत वाली मशीन भेंट की थी, मगर कई सालों तक उसे इस्तेमाल में ही नहीं लाया गया और धूल मिट्टी से वह खराब हो गई। एम.एम. पाल सिंह गोल्डी ऐसे अकेले व्यक्ति नहीं होंगे इनके जैसे अनेक धनाढ्य सिखों के साथ इस तरह के मामले अक्सर होते रहते हैं। जालंधर के एक सिख जो अब इस संसार में नहीं है। उन्होंने 2 करोड़ के करीब का सामान एक संस्था पर भेंट किया बदले में वहां के जत्थेदार के द्वारा उन पर कानूनी केस कर दिया। इसलिए सिख संस्थानों को अपनी सोच में बदलाव लाना चाहिए और अगर कोई शख्स सेवा भावना के साथ कुछ भेंट करता है तो उसे सही इस्तेमाल में लाना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि सभी संस्थानों में इस तरह की घटनाएं होती हैं मगर एक-आध घटना ही विश्वास तोड़ देती है। एम.एम. पाल सिंह गोल्डी मानते हैं कि मौजूदा समय में कैंसर एक गंभीर बीमारी है और बहुत से जरूरतमंद सिख परिवार इससे जूझ रहे हैं मगर इलाज इतना महंगा रहता है जो बिना मदद के संभव नहीं है। इसलिए जब उन्हें पता चला कि सरदार इकबाल सिंह लालपुरा के सुपुत्र अजयवीर सिंह लालपुरा के प्रयासों से पंजाब के रोपड़ में कैंसर का अस्पताल खुला है जहां जरूरतमंदों का इलाज हो सकेगा तो वह इसमें अपना योगदान देने से स्वयं को रोक नहीं पाए। जब संसार में किसी बच्चे का जन्म होता है, तो वह सबसे पहले अपनी मां से जो भाषा सीखता है, वही उसकी मातृभाषा कहलाती है। किंतु पिछले कुछ वर्षों से पंजाब के लोग धीरे-धीरे अपनी मातृभाषा से दूर होते जा रहे हैं। अधिकांश लोग दैनिक बातचीत में राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रयोग करने लगे हैं। पहले यह प्रवृत्ति मुख्यतः पंजाब से बाहर देखने को मिलती थी, लेकिन अब पंजाब के भीतर भी अधिकतर लोग अन्य भाषाओं को अपनी प्राथमिक संवाद भाषा बना रहे हैं। कई ऐसी संस्थाएं जिन्होंने पंजाबी भाषा के प्रचार के लिए संस्थाएं बना रखी हैं, मगर वह खुद पंजाबी से किनारा करते दिखते हैं। यदि इस स्थिति का विश्लेषण किया जाए तो इसका बड़ा कारण हमारे नेता भी हैं, जिन्होंने अपनी राजनीतिक शक्ति के लिए पंजाब के लोगों को धर्म के आधार पर बांटा और गैर-सिख समुदाय को हिंदी को अपनी मातृभाषा के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित किया। आज इसके परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। पड़ोसी देश के पंजाब, जिसे लहंदा पंजाब कहा जाता है, में अपेक्षाकृत बेहतर पंजाबी बोली जाती है, जहां लोगों ने अपनी विरासत और भाषा को संजोकर रखा है। हमारे यहां चाहे कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में आया हो, सभी सरकारों ने पंजाबी भाषा के साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार ही किया है। मातृभाषा किसी भी व्यक्ति की पहचान, संस्कृति और भावनाओं की नींव होती है। जब कोई भाषा समाप्त होती है, तो उसके साथ एक पूरी संस्कृति और ज्ञान की विरासत भी समाप्त हो जाती है। समय-समय पर पाकिस्तान में विभिन्न मुस्लिम धार्मिक कार्यक्रमों की कई ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं जिनमें सिख समुदाय और विशेष रूप से गुरु साहिबानों के बारे में कई आपत्तिजनक टिप्पणियां की जाती हैं। इसी क्रम में एक पाकिस्तानी मौलवी की ताज़ा वीडियो सार्वजनिक हुई है, जिसमें वह दावा कर रहा है कि गुरु नानक देव जी ने इस्लाम कबूल कर लिया था और मुसलमानों ने उन्हें बगदाद में दफनाकर वहां उनकी कब्र बनाई। उसने कहा कि सिखों में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वह अपने नबी (गुरु) का जनाज़ा मुसलमानों से ले सकते। उसने अपने अनुयायियों के सामने यह भी दावा किया कि गुरु नानक देव जी के मुसलमान बनने के बाद गुरु गोबिंद सिंह जी और महाराजा रणजीत सिंह डर गए कि इससे सिख धर्म खतरे में पड़ जाएगा। इस कारण उन्होंने गलत और मनगढ़ंत इतिहास लिखवा दिया। इसके अलावा अन्य वीडियो में पाकिस्तान के जामिया तुर रशीद सेमिनरी कराची के प्रमुख मुफ्ती तारिक मसूद देवबंदी और कथित सूफी संत मौलाना डॉ. प्रोफेसर मुहम्मद सुलेमान उर्फ हाफिज पीर मुहम्मद सुलेमान मिसबाही अलखादमी सिखों और गुरु साहिबानों के खिलाफ प्रचार करते रहे हैं। सिखों के प्रति ज़हर उगलती यह वीडियो उक्त मौलवियों के अनुयायियों द्वारा हजारों और लाखों की संख्या में सोशल मीडिया पर साझा की जा रही है। सिख ब्रदरहुड इन्टरनैशनल संस्था के मुखी गुणजीत सिंह बख्शी ने भारत की सरकार से मांग की है कि इस मसले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाते हुए ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, वहीं पाकिस्तानी सिख समुदाय में से भी कुछ लोग आगे आए हैं जिन्होंने अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पर उक्त वीडियो और संबंधित जानकारी साझा करते हुए पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, शिरोमणि कमेटी और श्री अकाल तख्त साहिब से मांग की है कि इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाए और सिख समुदाय, सिख ककारों तथा गुरु साहिबानों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां करने वाले पाकिस्तानी मौलवियों के खिलाफ कानून के तहत मामला दर्ज कर उन्हें मौत की सज़ा दी जाए।

सम्पादकीय...

भारत' की राह में बाधाएं

भारत ने अभी-अभी वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ए.आई.) इम्पैक्ट समिट होस्ट किया है और हमारे नेता अपनी आजादी की 100वीं सालगिरह तक 'विकसित भारत' या एक डिवेल्प्ड देश बनने की बात कर रहे हैं लेकिन हमारी राष्ट्रीय कहानी देश को उल्टी दिशा में ले जा रही है। ऐसा लगता है कि हम डिवेल्प्ड या डिवेलपिंग देशों से नहीं, बल्कि पिछड़े और अधोडिवेल्प देशों से मुकाबला कर रहे हैं और हम असल में उनसे आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कभी-कभी हमारे नेता ही गलत और प्रतिगामी कदम उठा रहे हैं और कभी-कभी आम लोगों का एक हिस्सा, शायद लीडरशिप के असर में, किसी खास समुदाय या किसी खास इलाके, जैसे नॉर्थ-ईस्ट के लोगों को बेइज्जत करने में कोई झिझक नहीं दिखाता। मैं पिछले एक हफ्ते में फैली कुछ नकारात्मक बातों के उदाहरण बताना चाहूंगा। इनमें सरकारें, न्यायपालिका, विधायिका के साथ-साथ आम लोग भी शामिल हैं। पहले बिहार का उदाहरण लेते हैं। इसके उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने ऐलान किया है कि शिक्षण संस्थान, धार्मिक जगहों या भीड़-भाड़ वाली सार्वजनिक जगहों के पास मांस की खुली बिक्री की इजाजत नहीं होगी। वैसे, यह पहली बार नहीं है जब कुछ इलाकों में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। धर्म से जुड़े कुछ शहरों में यह पहले से ही है। मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के पीछे उन्होंने जो वजह बताई है, वह अजीब है। इन गुणों के मुताबिक, ऐसा 'बच्चों में हिंसक आदतों को रोकने के लिए' किया जा रहा है। ऐसा कोई अध्ययन या डाटा नहीं है कि जो लोग नॉन-वेजिटेरियन होते हैं, उनमें वेजिटेरियन लोगों के मुकाबले यादा हिंसक आदतें होती हैं। उन्हें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (एन.एफ.एच.एस.)-5 के नतीजों पर भी हैरानी हो सकती है। 33,755 महिलाओं और 5,048 पुरुषों का सर्वे करने के बाद (एन.एफ.एच.एस.)-5 के डाटा में कहा गया कि भारत में 71.8 प्रतिशत महिलाओं और 83.2 प्रतिशत पुरुषों ने मांस खाने की बात की पुष्टि की है। फिर गुजरात सरकार का ही मामला लें। इसने शादी के पंजीकरण के लिए माता-पिता की मंजूरी जरूरी करने का प्रस्ताव दिया है। सरकार ने इस गैर-कानूनी कदम का कारण छिपाने की कोशिश नहीं की। इसमें कहा गया कि 'लव जिहाद के नाम पर राय में एक खेल खेला जा रहा है' और 'युवा लड़कियों के लिए एक मजबूत कवच बनाने की जरूरत है'। कुछ महीने पहले उत्तराखंड सरकार ने भी सभी लिव-इन पार्टनर्स के लिए जरूरी पंजीकरण का आदेश जारी किया था, भले ही वे वयस्क कंसल्टिंग पार्टनर हों। 'जेहादी', 'घुसपैठिया' या 'मियां' के बारे में लगातार कही जाने वाली बातों ने पहले ही लोगों की सोच को काफी नुकसान पहुंचाया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप में लोगों का एक ग्रुप नारे लगाते हुए और उसी ट्रेन के डिब्बे में सफर कर रहे मुसलमानों के एक ग्रुप को भड़काने की कोशिश करता दिख रहा है। राष्ट्रवादी नारे लगाने में कुछ भी गलत नहीं है लेकिन कोई भी उन लोगों का मकसद समझ सकता है, भले ही छोटे बच्चे हैरान आंखों से देख रहे हों। एक और वीडियो क्लिप जो साफ तौर पर अरुणाचल प्रदेश के स्टूडेंट्स ने शूट की है, में एक कपल स्टूडेंट्स को 'फॉरेन कंट्री' कहता हुआ और नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स के लिए दूसरे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करता हुआ दिख रहा है। यह जोड़ा उत्तराखंड के उन असामाजिक लोगों के उलट 'पढ़ा-लिखा' लग रहा था, जिन्होंने त्रिपुरा के एक लड़के को सिर्फ इसलिए मार डाला था क्योंकि वह "चीनी दिखता था"।

अमेरिका ट्रेड डील और भारत

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प को भारी झटका देते हुए वहां की सुप्रीम कोर्ट ने उनके द्वारा दुनियाभर पर लादे गए टैरिफ़ को 6-3 के बहुमत से रद्द कर दिया। अदालत का कहना है कि उनका संविधान टैरिफ़ लगाने का अधिकार उनकी कांग्रेस (संसद) को देता है, कार्यपालिका को नहीं। अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति और उस देश के संस्थापकों में से एक थॉमस जैफरसन ने कहा था, अगर हम सत्ताधारी लोगों को शरारत करने से रोकना चाहते हैं तो उन्हें संविधान की जंजीरों में बांध देना चाहिए। आदत के अनुसार ट्रम्प खूब भड़क रहे हैं और यहां तक कह दिया कि यह फ़ैसला 'शर्मनाक' है और जजों ने देशहित के खिलाफ काम किया है। बड़ा मसला रिफंड का बनता है जिसका आकलन 130-142 अरब डॉलर से 175 अरब डॉलर तक बताया जा रहा है। अदालत ने इसके बारे कोई फ़ैसला नहीं दिया। मामला क्यों उलझा रहेगा। आग बबूले ट्रम्प ने सब पर पहले 10फीसदी और फिर 15फीसदी टैरिफ़ ठोक दिया है। संविधान उन्हें 150 दिन तक 15फीसदी तक टैरिफ़ लगाने का अधिकार देता है। पर दुनिया को अभी राहत नहीं मिलेगी। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि ट्रम्प अपनी ताक़त दिखाने के लिए कोई न कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। वह संसद में जा सकते हैं पर अमेरिका में टैरिफ़ की अलोकप्रियता को देखते हुए इसकी सम्भावना कम है, पर जैसे यूरोपियन पॉलिसी सैंटर के वार्ग फोल्कमैन ने भी कहा है, इससे विश्व व्यापार में भारी अनिश्चितता आएगी, क्योंकि सब यह तय करने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका की नीति क्या होगी। ट्रम्प सरकार ने फ़ैसले के बहुत पहले संकेत दिए थे कि ज़रूरत पड़ने पर वह टैरिफ़ लगाने के और रास्ते निकाल लेंगे। लेकिन यह देखने की बात होगी। इस वक्त तो अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है कि आप चाहे कितने भी बड़े हो संविधान और क़ानून आपसे बड़ा है। सारी दुनिया की संवैधानिक अदालतों को संदेश दिया गया है कि वह भी सत्ता के सामने सच बताने का साहस रखें। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा है कि अदालत का फ़ैसला बताता है कि लोकतांत्रिक देशों में शक्ति का संतुलन अच्छा रहता है, लेकिन इस समय तो वह देश, भारत समेत, जिन्होंने दबाव में आकर अमेरिका के साथ डील की थी सब आकलन कर रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला उन्हें नई सौदेबाज़ी का मौक़ा देता है या नहीं? ऐसा करते वक्त सब ट्रम्प के स्वभाव और उनके बदला लेने की प्रवृत्ति को भी ज़हन में रखेंगे। जहां तक भारत का सवाल है, ट्रम्प ने पहले संवाददाता सम्मेलन में ही घोषणा कर दी कि भारत के साथ डील जस की तस रहेगी, कोई बदलाव नहीं होगा। एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए उनका कहना था कि, पहले स्थिति उलटी थी लेकिन हमने पलट दिया, अब हम उन्हें टैरिफ़ नहीं दे रहे जबकि वह हमें टैरिफ़ दे रहे हैं। अर्थात् अमेरिका के राष्ट्रपति चेतावनी दे रहे कि दोबारा सौदेबाज़ी करने की कोई गुंजाइश नहीं है। बड़ा सवाल तो है कि अमेरिका के साथ उस समय समझौता क्यों किया गया जबकि मालूम था कि वहां सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला सुनाने वाला है? सुनवाई के दौरान यह संकेत मिलने शुरू हो गए थे कि अदालत टैरिफ़ पर रोक लगा सकती है। हमारे अपने कई पूर्व डिप्लोमैट भी सावधान कर रहे थे कि फैसले का इंतज़ार करो। फिर जल्दी क्यों की गई? अगर हम दो तीन सप्ताह इंतज़ार कर लेते तो 50फीसदी टैरिफ की जो तलवार ऊपर लटक रही थी वह हट जाती और हम बराबरी पर आ जाते। रूसी तेल रोकने या कृषि क्षेत्र को आंशिक तौर पर खोलने की जो रियायतें दी गई हैं, वह देने की ज़रूरत न पड़ती। यह भी समझ नहीं आती कि हम उन्हें टैरिफ (अब कम हो कर 15फीसदी) क्यों दे रहे हैं जबकि वह हमें ज़ीरो टैरिफ दे रहे हैं, जो बात बड़े फ़ख्र से ट्रम्प कह भी रहे हैं? जो रियायतें हमसे अमेरिका ने खींच ली हैं, उनका क्या बनेगा? सबसे चिन्ताजनक है कि जो समझौता द्विपक्षीय है उसमें तीसरे पक्ष, रूस, को भी घसीट लिया गया है। हम पर रूस से तेल लेना बंद करने की शर्त लगा दी गई है। ट्रम्प कह चुके हैं कि वह नज़र रखेंगे कि हम रूस से तेल ले रहे हैं या नहीं? इस समझौते का सबसे विवादित मामला रूसी तेल है अभी से संकेत हैं कि हमने रूस से सस्ता तेल लेना कम कर दिया है जिसका फायदा चीन उठा रहा है। 50फीसदी टैरिफ़ कम करने के लिए हमें यह करना पड़ा। अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने तो साफ़-साफ़ कहा है कि भारत ने अमेरिका के साथ डील में रूसी तेल के बारे वचनबद्धता की है जिसके बाद भारत ने ऊर्जा लेने के अपने स्रोत बदल दिए हैं। दूसरी तरफ़ रूस की नज़र भी इस डील पर है। रूस के उप विदेश मंत्री सरजी रयाबकोव का कहना है कि आशा है कि भारत-अमेरिका डील से रूस के साथ सम्बन्ध को धक्का नहीं पहुंचेगा। इस कथन में रूस की चिन्ता भी छिपी है और चेतावनी भी कि रूस के साथ सम्बन्ध खराब हो सकते हैं। न्यूयार्क टाइम्स ने टिप्पणी की है कि अमेरिका के साथ डील मोदी के लिए बड़ी सरदर्द बन गई है। अखबार ने साथ यह भी जोड़ा है कि, ट्रेड और विदेश नीति में भारत को जो क़ीमत चुकानी पड़ सकती है वह लगातार बढ़ रही है। हमारे लोगों को इसका अहसास है जो दो मंत्रियों की प्रतिक्रिया से पता चलता है। रूस से तेल रोकने की देश में बहुत आलोचना हो रही है। ट्रम्प के दबाव में हम उसे बहाल नहीं कर सकते पर इसके गम्भीर दुष्परिणाम निकल सकते हैं और भी विवादास्पद मामले हैं। हम उन्हें टैरिफ दे रहे हैं पर वह हमें टैरिफ नहीं देंगे। यह कैसी जायज़ है? यह समाचार है कि हमने अगले पांच वर्षों में अमेरिका से 500 अरब डालर का सामान खरीदने का वादा किया है। बाद में ज़रूर इसे 'इरादा' कहा गया है। इस वक्त हम वहां से 41.5 अरब डालर का आयात करते हैं। इतनी बढ़ोतरी कैसे होगी? इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र को आंशिक तौर पर अमेरिका के लिए खोले जाने से किसान संगठन बेचैन हैं। उनको आशंका है कि इस क्षेत्र में घुसपैठ की शुरूआत हो रही है। अब भारत सरकार ने अमेरिका को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद मामला लटका दिया है। जिस प्रतिनिधिमंडल ने वहां जाना था वह नहीं जा रहा। सरकार को फ़िलहाल राहत मिल गई है पर डोनाल्ड ट्रम्प खामोश नहीं रहेंगे। वह बहुत अस्थिर और सनकी इंसान है उनके साथ कोई डील करना बहुत मुश्किल है। भारत सरकार ने पहले ईयू, आस्ट्रेलिया, ओमान, यूके, न्यूज़ीलैंड और यूएई के साथ विवाद रहित समझौते किए हैं। यूई के साथ समझौते का बहुत स्वागत किया गया है। अनुमान है कि 2030 तक यूरोप को हमारे कपड़ा निर्यात में पांच गुना की भारी बढ़ोतरी होगी। इन्हीं पांच वर्षों में यूरोप को इंजीनियरिंग के माल का निर्यात तीन गुना बढ़ जाएगा। इसी तरह बाकी देशों के साथ हमारे व्यापार में भारी वृद्धि होगी जो रोजगार बढ़ाएगा। फ्रांस जैसे कई देश हमारे स्टूडेंट्स के लिए अपनी यूनिवर्सिटियों के दरवाज़े खोल रहे हैं, पर समस्या डोनाल्ड ट्रम्प के अमेरिका से है। पहले हमने 50फीसदी टैरिफ़ के दबाव में झुकने से इंकार कर दिया था तो दुनिया में हमारी बहुत प्रशंसा हुई थी। कनाडा के ऊर्जा मंत्री ने तब कहा था, जो भारत ने ईयू के साथ किया है। वह एक प्रकार का संदेश है हम उस दुनिया में नहीं रहना चाहते जिसमें माइट इज़ राइट है, पर वर्तमान समझौते ने यह दबंग छवि बदल दी है। रूस को नाराज़ करने की बड़ी क़ीमत चुकानी पड़ सकती है। अब उनके सुप्रीम कोर्ट द्वारा टैरिफ़ रद्द करने के बाद हमें मौक़ा है कि इस सारे मामले पर दोबारा से विचार करें। ईयू ने अमेरिका के साथ समझौते की पुष्टि की प्रक्रिया को टाल दिया है। याद रखना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में कोई 'गुड फ्रैंड'

यूई के साथ समझौते का बहुत स्वागत किया गया है। अनुमान है कि 2030 तक यूरोप को हमारे कपड़ा निर्यात में पांच गुना की भारी बढ़ोतरी होगी। इन्हीं पांच वर्षों में यूरोप को इंजीनियरिंग के माल का निर्यात तीन गुना बढ़ जाएगा। इसी तरह बाकी देशों के साथ हमारे व्यापार में भारी वृद्धि होगी जो रोजगार बढ़ाएगा। फ्रांस जैसे कई देश हमारे स्टूडेंट्स के लिए अपनी यूनिवर्सिटियों के दरवाज़े खोल रहे हैं, पर समस्या डोनाल्ड ट्रम्प के अमेरिका से है। पहले हमने 50फीसदी टैरिफ़ के दबाव में झुकने से इंकार कर दिया था तो दुनिया में हमारी बहुत प्रशंसा हुई थी। कनाडा के ऊर्जा मंत्री ने तब कहा था, जो भारत ने ईयू के साथ किया है। वह एक प्रकार का संदेश है हम उस दुनिया में नहीं रहना चाहते जिसमें माइट इज़ राइट है, पर वर्तमान समझौते ने यह दबंग छवि बदल दी है। रूस को नाराज़ करने की बड़ी क़ीमत चुकानी पड़ सकती है।

प्रजा में बदलते नागरिक और लंबी कैद में पर्यावरण रक्षक सोनम वांगचुक

अभियन्ता, नवाचारी और शिक्षा सुधारक के साथ सामाजिक-पर्यावरणीय कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को 26 सितंबर 2025 से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में लिया गया है। वे वर्तमान में जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं। उनको हिरासत को लगभग 150 दिन (5 महीने) हो चुके हैं। हाल ही में, 19 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट में उनकी हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई, जहाँ अदालत ने सरकार से उनके भाषणों की मूल रिकॉर्डिंग और सटीक अनुवाद पेश करने को कहा है। वांगचुक की लम्बी कैद को केवल एक कानूनी प्रकरण मानकर अनदेखा कर देना आसान है। किंतु ऐसे मामलों में सवाल व्यक्ति का नहीं, लोकतंत्र की संवेदनशीलता का होता है। लोकतंत्र में सत्ता और असहमति के बीच तनाव स्वाभाविक है, पर जब असहमति के स्वर लंबे समय तक कारावास में बंद किए जाने लगें, तो वह लोकतान्त्रिक व्यवस्था के स्वास्थ्य पर प्रश्नचिह्न लगा देता है। यह केवल एक व्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न नहीं है; यह भारतीय लोकतंत्र की संवेदनशीलता, सहिष्णुता और संवाद हेतु उपलब्धता की कसौटी भी है। भारतीय जनमानस के लिए भी यह क्षण आत्ममंथन का है–कि क्या हम असहमति को देशद्रोह, आलोचना को विद्रोह और चेतावनी को अपराध समझने लगे हैं? सोनम वांगचुक पर्यावरण, शिक्षा और सीमांत क्षेत्रों के सामाजिक प्रश्नों पर राय का ध्यान खींचने का प्रयास करते रहे हैं। लद्दाख जैसे भूगोल और संस्कृति की दृष्टि से विशिष्ट क्षेत्र में उनकी भूमिका केवल एक कार्यकर्ता की नहीं, बल्कि स्थानीय समाज और केंद्र के बीच संवाद सेतु की रही है। ऐसे में उनकी लंबी कैद का प्रश्न केवल कानून व्यवस्था का नहीं रह जाता; वह सत्ता और समाज के संबंधों के स्वरूप पर बहस छेड़ता है। उनकी लम्बी कैद से कुछ सवाल उठते हैं या उठने चाहिए, जिनके जवाब लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमें ढूँढने होंगे। पहला सवाल है लोकतंत्र में असहमति के अधिकार का - एक ऐसे व्यक्ति को, जिसने शिक्षा, सामुदायिक विकास और लद्दाख के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया हो, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त कर देश का नाम रोशन किया हो, जिसने गलवान में देशभक्ति दिखाई, हिमालय की पर्यावरण रक्षा के लिए अनशन किए, और लाखों भारतीयों को प्रेरित किया, उसे प्रिवेंटिव डिटेंशन NSA जैसे सख्त कानून के तहत इतने लंबे समय तक बंद रखना सही संदेश नहीं देता। असहमति अपराध नहीं है। अगर कोई शांतिपूर्ण तरीके से राय से मांग कर रहा है, तो उसे राष्ट्र-विरोधी करार देकर जेल में डालना लोकतंत्र की आत्मा को कमजोर करता है। संविधान ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार इसलिए नहीं दिया कि नागरिक केवल सत्ता की प्रशंसा करें, बल्कि इसलिए कि वे सत्ता से सवाल भी कर सकें। सोनम वांगचुक जैसे व्यक्तियों की भूमिका सत्ता का विरोध करने की नहीं, बल्कि समाज को आगाह करने की रही है—चाहे वह लद्दाख के पर्यावरण, शिक्षा सुधार या स्थानीय स्वायत्तता का प्रश्न हो।

यदि ऐसे स्वरों को लंबी कैद में डाल दिया जाए, तो समाज में डर और आत्म-सेंसरशिप का वातावरण बनता है। यह केवल एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि नागरिक चेतना को कारावास में डालने जैसा है। दूसरा मुद्दा है NSA का दुरुपयोग रोकने की जरूरत का। NSA प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए है, पर इसका इस्तेमाल राजनीतिक असहमति दबाने के लिए बार-बार हो रहा है। यह एक खतरनाक ट्रेंड है। NSA जैसे असाधारण कानून का इस्तेमाल असाधारण परिस्थितियों में ही होना चाहिए। अगर हर असहमति को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मान लिया जाए, तो अभिव्यक्ति की आजादी और लोकतंत्र दोनों खतरे में पड़ जायेंगे। तीसरा मुद्दा है लद्दाख की अनसुनी मूल माँगों का। छठी अनुसूची, राय का दर्जा, नौकरियों में स्थानीयों को प्राथमिकता – ये माँगें क्षेत्र की सुरक्षा, संस्कृति और आजीविका से जुड़ी हैं। वांगचुक की यात्रा मौजूदा शिक्षा प्रणाली के प्रति निराशा के साथ शुरू हुई, जो उन्हें लगा कि यह लद्दाखी छात्रों की जरूरतों को पूरा नहीं करती है। 1988 में, अन्य संबंधित छात्रों के साथ, उन्होंने स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ़ लद्दाख की स्थापना की जिसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों में सुधार करना और शिक्षा को लद्दाखी संदर्भ में व्यावहारिक और अधिक प्रासंगिक बनाना था।

ग्लेशियरों के पिघलने के कारण बढ़ते जल संकट को पहचानते हुए, वांगचुक ने सरल ÷आइस स्तूप÷ तकनीक विकसित की। बर्फ के स्तूप ने पानी की कमी के कम लागत वाले समाधान के रूप में अंतरराष्ट्रीय प्रशंसा अर्जित की है। वांगचुक 6 मार्च 2024 से 26 मार्च 2024 तक लेह में भूख हड़ताल पर थे। उनकी मुख्य माँगें थीं – लद्दाख को छठी अनुसूची के तहत राय का दर्जा दिया जाए, जो आदिवासी क्षेत्रों को विशेष अधिकार और सुरक्षा प्रदान करता है। लद्दाख को एक ÷पर्यावरण संरक्षित क्षेत्र÷ घोषित किया जाए। लद्दाख के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो और लद्दाख की अनूठी संस्कृति और भाषा को संरक्षित किया जाए। जेल की सलाखों के पीछे सोनम वांगचुक को रखकर समस्या हल नहीं होती। लद्दाख के लोगों की भावनाओं को संबोधित करना चाहिए, न कि उन्हें दबाया जाना चाहिए, खासकर तब जब लद्दाख सामरिक रूप से महत्वपूर्ण सीमावर्ती राय हो। चौथा प्रश्न है स्वास्थ्य और मानवीयता का। सुप्रीम कोर्ट ने खुद उनकी सेहत पर चिंता जताई है। एक पचास वर्ष से अधिक उम्र के कुछ क्रॉनिक बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति, जो पहले से अनशन कर चुका है, जिसे जेल के दूषित पानी और प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण स्वास्थ्य में गिरावट के चलते जोधपुर AIIMS में भी भर्ती करना पड़ा, को क्या इतनी लम्बी निवारक हिरासत की जरूरत है? क्या यह मानवीयता के खिलाफ नहीं है?

शांतिपूर्ण संवाद और सकारात्मक समाधान का आह्वान

सोनम वांगचुक ने हमेशा शांतिपूर्ण विरोध का समर्थन किया है। गाँधीवादी मार्ग पर चले वांगचुक का आंदोलन अनशन और लेह से दिल्ली तक शांतिपूर्ण मार्च पर आधारित रहा है। क्या अहिंसक विरोध प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति पर इस जैसे कड़े कानून लगाना लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप है? वे केवल एक राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं, बल्कि एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित नवाचारी और पर्यावरणविद हैं। जलवायु सैनिक के रूप में लद्दाख के ग्लेशियरों और वहां की नाजुक पारिस्थितिकी को बचाने की उनकी मांग पूरे देश खासकर हिमालय के भविष्य से जुड़ी है। उनके जेल में होने का मतलब है कि लद्दाख की पारिस्थितिक सुरक्षा की आवाज़ को कमजोर करना। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से स्पष्टता मांगी है कि क्या उनकी हिरासत के लिए पर्याप्त आधार हैं? पुरानी कहावत है कि न्याय में देरी न्याय से वंचित करने जैसा है। सोनम वांगचुक का संघर्ष केवल लद्दाख के लिए नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रकृति के संरक्षण के बीच संतुलन बनाने की लड़ाई है। एक प्रबुद्ध समाज को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विकास की दौड़ में हम अपने पर्यावरण के रक्षकों को सलाखों के पीछे न खो दें। भारतीय जनमानस के लिए यह समय है कि वह अभिव्यक्ति, संवाद और सहिष्णुता के पक्ष में स्पष्ट और विवेकपूर्ण रुख अपनाए–क्योंकि लोकतंत्र अंततः संस्थाओं से नहीं, नागरिक चेतना से जीवित रहता है।

केंद्र सरकार को सोनम वांगचुक को तुरंत रिहा कर अपनी भूलसुधार करनी चाहिए। लद्दाख के साथ संवाद की मेज पर बैठना अभी भी संभव है। यही देश की एकता और गरिमा के लिए श्रेष्ठ होगा।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने बन्ना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साउथ पैंथरप्रेस एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होगा। (DELHIN/2010/[illegible])

प्रोन्नत हुए सिविल डिफेंस के वार्डनों को किया सम्मानित

मुरादाबाद।

नागरिक सुरक्षा मुरादाबाद की महनगर स्तर की बैठक गुरुवार को सिविल लाइंस स्थित सिविल डिफेंस कार्यालय पर हुई। जिसमें आगामी त्यौहार होली, रमजान, जुमा नमाज व ईदुलफितर पर वार्डनों के दारा की जाने वाली ड्यूटी पर चर्चा की गई। इसके साथ ही नागरिक सुरक्षा में रिक्त पदों पर प्रोन्नत हुए वार्डनों का फूल माला पहनाकर व बुकें देकर स्वागत अभिनंदन किया गया। जिसमें सर्वप्रथम नागरिक सुरक्षा के उपनियंत्रक नीरज चक्क व सहायक उपनियंत्रक सतीश कुमार ने डिप्टी चीफ वार्डेन पर पुनः नियुक्त हुए पंकज

होली पर ड्यूटी को लेकर हुई चर्चा

सक्सेना व डिवीजनल वार्डेन पद आरक्षित पद पर नियुक्त हुए अशोक गुप्ता स्वागत अभिनंदन किया गया। इसके बाद प्रखंड कोतवाली, सिविल लाइन व कटघर में प्रोन्नत हुए वार्डेनों का स्वागत अभिनंदन किया गया जिसमें डिप्टी डिवीजनल वार्डेन बने कमल किशोर, स्टाफ अधिकारी टू डिवीजनल वार्डेन वसीम अख्तर, आईसीओ बनीं डा पूनम बंसल, पोस्ट वार्डेन बने संजय गुप्ता, शरद गुप्ता,

मुनीर बारी, अनामिका गुप्ता, संजय भटनागर, पोस्ट वार्डेन आरक्षित बने निमित जायसवाल, सुखदेव यादव, शबाना परवीन, डिप्टी पोस्ट वार्डेन बने विवेक यादव, राजीव चौधरी, आकाश गुप्ता, सहीमउद्दीन, शबरेज आलम, दुर्गेश कुमार, अब्दुल कादिर, बबीता, उमरदराज, ब्रहमेश शर्मा,अरविन्द सक्सेना, अजयवीर सिंह, सरजीत कुमार का माला पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। उपनियंत्रक नीरज चक ने कहा कि जो भी वार्डन प्रोन्नत हुए हैं वह अपनी जिम्मेदारियों को पहले से भी और अधिक कर्तव्य निष्ठा के साथ निभाएं। अपने जूनियर वार्डेनों को अपने अनुभव साझा करें और सीनियर वार्डन के अनुभवों को अपने जीवन में उतारें।

सहायक उपनियंत्रक सतीश कुमार ने कहा कि जिन पोस्टों में पद रिक्त है वहां शीघ्रतिशीघ्र नई भर्तियां कराएं। डिप्टी चीफ वार्डन पंकज सक्सेना ने कहा कि खेली, जुम्मा नमाज, ईद को लेकर जिसको भी जो ड्यूटी दी जाए वह अपनी ड्यूटी सक्रियता से निभाएं। डिवीजनल वार्डन सुरेंद्र प्रकाश गुप्ता ने कहा कि प्रोन्नत हुए वार्डेनों की जिम्मेदारी पहले से भी और अधिक बढ़ गई है इसीलिए उन्हें और अधिक मेहनत करनी पड़ेगी।

इस अवसर पर उपनियंत्रक नीरज चक, सहायक उपनियंत्रक सतीश कुमार, डिप्टी चीफ वार्डन पंकज सक्सेना, नागरिक सुरक्षा कार्यालय से चमन शर्मा, डा तुषार अग्रवाल, डिवीजनल वार्डन सुरेंद्र प्रकाश गुप्ता,डिवीजनल वार्डेन आरक्षित अशोक कुमार गुप्ता, उपभागीय वार्डेन विचित्र शर्मा, डा शफीक अहमद, शरीफ अहमद एड., निमित जायसवाल, नीतू सक्सेना आदि उपस्थित रहे।

कम्पनी बाग का नाम परिवर्तित करने की उठाई मांग

मुरादाबाद।

वन्दे भारत (संस्कार संस्कृति संवाहक) के सदस्यों द्वारा आज कलेक्ट्रेट पर जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया गया। जिसमें राष्ट्रीय सह संयोजक धवल दीक्षित ने कहा कि भारतवर्ष को अंग्रेजी शासन से स्वतंत्र हुए 78 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, यदि अब भी उनके द्वारा लिखे-रखे नाम हमारे प्रमुख स्थानों पर रहते हैं, तो यह अत्यंत दुखद है।

और वह भी वहां, जहां स्वतंत्रता सेनानी भवन, शहीद स्मारक एवं महात्मा गांधी की प्रतिमा हो, तब यह भारत के महान स्वतंत्रता वीरों एवं क्रांतिकारियों का अपमान सा प्रतीत होता है।

कहा गया कि हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री के द्वारा भी निरंतर आवाहन किया गया है कि गुलामी के प्रत्येक प्रतीक व विचार से समाज को एवं स्वयं को मानसिक रूप से स्वतंत्र करना होगा। इस विषय को ध्यान में रखते हुये,

वंदे भारत संस्था ने डीएम को सौंपा ज्ञापन

सिविल लाइन्स मुरादाबाद में स्थित कम्पनी बाग का नाम परिवर्तित किया जाये, यह अंग्रेज शासन का सैरगाह रहा थ।

यहाँ इस क्षेत्र में भारतीयो का घूमने आना वर्जित था। अब जब अंग्रेज शासन से स्वतंत्रता प्राप्त हुये 78 वर्ष हो चुके हैं, तब इन अंग्रेजी नाम की क्या आवश्कता अथवा क्या महत्व है। मांग की गई कि शीघ्र अति शीघ्र इस नाम को परिवर्तित किया जाये। ज्ञापन देने में धवल दीक्षित, शिव हरि शर्मा, रमेश आर्य, विमलेन्द्र शर्मा, मणि चौहान, पूर्णिमा चौरसिया आदि सदस्य साथ रहे।

नैतिकता एवम् सतत विकास की समझ विकसित करें युवा: प्रो. दीक्षित

टीएमयू कॉसरोड्स प्रतियोगिता मेंमेरठ की विक्ट्री वाइपर्स विजेता

मुरादाबाद। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, मुरादाबाद के सेंटर फॉर टीचिंग, लर्निंग एंड डवलपमेंट- सीटीएलडी की ओर से सस्टेनेबल फ्यूचर्स: नेविगेटिंग एथिकल एंड एनवायरनमेंटल डिलेमा पर हुई प्रथम अंतर-विश्वविद्यालय केस स्टडी प्रतियोगिता क्रॉसरोड्स 5.0 में देवान वीएस इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मेरठ के बीटेक स्टुडेंट्स- कृतिका तेवतिया, अर्पिता राजपूत, अकमल खान की टीम विक्ट्री वाइपर्स विजेता रही। टीएमयू के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बीटेक-ईई के स्टुडेंट्स अंश शर्मा, कनिष्का, रिया जैन की टीम नेक्सस आर्किटेक्ट और मुरादाबाद इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बीटेक स्टुडेंट्स आदित्य पनेरू, श्रेया सिंह, चंद्र प्रकाश जोशी की टीम सस्टेन एक्स ने बराबर अंक हासिल करके द्वितीय स्थान प्राप्त किया। टीएमयू के टिमिट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट के एमबीए स्टुडेंट्स खुशी जैन, संस्कार जैन, गुनगुन कात्याल की टीम डिसिजन आर्किटेक्ट्स तीसरे स्थान पर रही। इससे पूर्व नर्सिंग बिल्डिंग के फिजियोथेरेपी लेक्चर थिएटर में मां सरस्वती के समक्ष दीप प्र'जवलन के संग केस स्टडी प्रतियोगिता क्रॉसरोड्स 5.0 का शंखनाद हुआ।

इस मौके पर कॉलेज ऑफ लॉ एंड लीगल स्टडीज के डीन प्रो. हरबंश दीक्षित बतौर मुख्य अतिथि, डेंटल एवं एलाइड हेल्थ साइंसेज की निदेशक गवर्नेंस श्रीमती नीलिमा जैन, लॉ कॉलेज के प्राचार्य प्रो. एसके सिंह, सीटीएलडी के निदेशक प्रो. पंकज कुमार सिंह आदि

मौजूद रहे। अंत में सभी विजेताओं को ट्राफी और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न यूनिवर्सिटीज एवम् संस्थानों के स्टुडेंट्स ने नवाचार, विश्लेषणात्मक सोच एवं नैतिक निर्णय क्षमता का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। श्रीमती नीलिमा जैन और प्रो. पंकज कुमार सिंह आदि प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में शामिल रहे। प्रतियोगिता में तीर्थंकर महावीर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, टिमिट, सीसीएसआईटी, लॉ कॉलेज, विल्सोनिया डिग्री कॉलेज, श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी, गजरौला सहित विभिन्न संस्थानों की टीमों ने भी उत्कृष्ट प्रस्तुतियां देकर प्रतियोगिता की गुणवत्ता को नई ऊंचाई प्रदान की। संचालन सीटीएलडी की सीनियर सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर श्रीमती मणि सारस्वत ने किया।

आजाद भारत में गुलामी प्रथा नहीं चलेगी- महिला शिक्षक संघ

फतेहपुर।

फतेहपुर में उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ ने शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता के विरोध में जोरदार आवाज उठाई। संघ की ओर से जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय शिक्षा मंत्री को विस्तृत ज्ञापन प्रेषित किया गया। ज्ञापन में उच्चतम न्यायालय के हालिया निर्णय तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23 में वर्ष 2017 में किए गए संशोधन के आधार पर पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य किए जाने पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई गई। संघ ने अपने ज्ञापन में स्पष्ट किया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने से पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर नई शर्तें थोपना न केवल संवैधानिक सिद्धांतों के विपरीत है, बल्कि विधि के सामान्य सिद्धांत–कि कोई भी कानून पूर्व प्रभाव से लागू नहीं होता–का भी उल्लंघन है। पदाधिकारियों ने कहा कि

सेवा में वर्षों से कार्यरत शिक्षकों पर अचानक नई अनिवार्यता लागू करना उनके अधिकारों और सम्मान के साथ अन्याय है। महिला शिक्षक संघ ने चेताया कि इस निर्णय से उत्तर प्रदेश में लगभग दो लाख तथा देशभर में बीस लाख से अधिक शिक्षक-शिक्षिकाओं का भविष्य संकट में पड़ सकता है। लगातार मानसिक दबाव के कारण शिक्षकों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है तथा शैक्षिक वातावरण में असंतोष की स्थिति बन रही है। ज्ञापन देते समय सैकड़ों की संख्या में महिला शिक्षक उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में जिला कार्यकारिणी एवं ब्लॉक स्तरीय पदाधिकारियों की भी भागीदारी रही।

उपस्थित प्रमुख पदाधिकारी एवं सदस्य

चम्पा शर्मा - जिला अध्यक्ष
रश्मि श्रीवास्तव - जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष

शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता का किया विरोध

श्रद्धा अवस्थी - जिला महामंत्री
मोनिका सिंह - जिला कोषाध्यक्ष
प्रितिजा - मंडल मंत्री
अपराजिता - ब्लॉक मंत्री
विनीता - जिला मंत्री
शालिनी मौर्य - जिला मंत्री
राधा त्रिपाठी - जिला मंत्री
मनोरमा - ब्लॉक उपाध्यक्ष
सुषमा - जिला मंत्री

संघ ने केंद्र सरकार से मांग की है कि पूर्व में नियुक्त शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता से मुक्त किया जाए तथा उनके सेवा अधिकारों की संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। संघ ने स्पष्ट कहा कि यदि मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो व्यापक आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी।

4 मार्च को निकाली जाएगी रंग की शोभायात्रा

मुरादाबाद। हिंदू मंडल किशोर 84 घंटा महानगर मुरादाबाद द्वारा आज प्रेस वार्ता अध्यक्ष अरविंद अग्रवाल जॉनी के नेतृत्व में की गई जिसमें आगामी होली के पर्व को लेकर चर्चा की गई कार्यक्रम संयोजक एवं व्यापारी नेता विपिन गुप्ता ने बताया कि होली का जुलूस सुबह 9.×0 बजे 84 घंटा मंदिर से प्रारंभ होकर दीवान का बाजार ,डॉक्टर एस कुमार का चौराहा ,मंडी चौक ,अमरोहा गेट ,बाजार गंज चौराहा ,बंगला गऊ ,नागफनी की तरफ से होते हुए वापस 84 घंटा मंदिर पर आकर समाप्त होगा। इस बार की शोभायात्रा में खासियत यह होगी की इनमें इस सूखे टेसू के फूलों के रंग का इस्तेमाल किया जाएगा फूलों से होली खेली जाएगी होली रंगों का त्यौहार है उसे बड़ी खूबसूरती जगह हिंदू मुस्लिम एकता कपूर के जीते हुए मनाया जाएगा साथी पुलिस व प्रशासन के अधिकारी भी इसमें साथ चलेंगे नगर विधायक रितेश गुप्ता जी ,मुरादाबाद देहात के प्रत्याशी रहे के के मिश्रा जी ,मेयर और विनोद अग्रवाल जी भी इसमें शामिल रहेंगे साथ ही व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारी भी इसमें अपनी सहभाई करेंगे मुरादाबाद महानगर के सभी नागरिकों से निवेदन है कि इस बार के होली के जुलूस में शामिल होकर एकता और सदभाव का परिचय दें और होली को शानदार तरीके से बनाएसभी ने मिलकर होली का दहन 2 मार्च को होगा इस दौरान मुख्य रूप से अरविंद अग्रवाल जॉनी ,संयोजक एवं प्रदेश महामंत्री विपिन गुप्ता ,टोनी सहगल ,राजेंद्र गुप्ता ,सुप्रीत खन्ना ,सत्यदेव शर्मा ,अतुल सोती आदि मौजूद रहे।

भैंस के मीट की बढ़ी कीमतें नियंत्रित कराये प्रशासन: तालिब अंसारी

मुरादाबाद। जनपद में रमज़ान के पवित्र महीने के दौरान भैंस के गोश्त की कीमतों में असामान्य वृद्धि ने रोजेदारों और आम उपभोक्ताओं की चिंताएँ बढ़ा दी हैं। पिछले वर्ष लगभग 200 रुपये प्रति किलो उपलब्ध होने वाला गोश्त इस वर्ष ×80 से 400 रुपये प्रति किलो तक बिक रहा है। एक वर्ष में लगभग दोगुनी वृद्धि केवल सामान्य महंगाई का परिणाम नहीं प्रतीत होती, बल्कि बाजार में किसी प्रकार की अव्यवस्था या कृत्रिम मूल्य-वृद्धि की आशंका को भी जन्म देती है। समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हाजी तालिब अंसारी ने कहा कि खुले मांस पर जीएसटी लागू नहीं है तथा केवल पैक्ड मांस पर 5 प्रतिशत जीएसटी निर्धारित है। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि कीमतों में इतनी तीव्र बढ़ोतरी किन कारणों से हुई। यदि उत्पादन लागत,

परिवहन या अन्य व्यावहारिक कारण है तो उनकी पारदर्शी जानकारी जनता के समक्ष रखी जानी चाहिए। अन्यथा, महंगाई के नाम पर उपभोक्ताओं का आर्थिक शोषण रोकने हेतु प्रशासनिक हस्तक्षेप अनिवार्य है।

इसके अतिरिक्त, बड़े पैमाने पर मांस निर्यात के कारण दुधारू पशुओं के कटान की आशंकाएँ भी व्यक्त की जा रही हैं। यदि दुधारू पशुओं की संख्या प्रभावित होती है तो इसका सीधा असर दुग्ध उत्पादन पर पड़ेगा, जिससे भविष्य में दूध एवं दुग्ध उत्पादों की उपलब्धता और कीमत दोनों प्रभावित हो सकती हैं। यह न केवल उपभोक्ताओं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए भी गंभीर विषय है।अतः सरकार एवं जिला प्रशासन से निम्नलिखित मांगें की जाती हैं, स्लॉटर हाउसों पर नियमित एवं सघन निरीक्षण सुनिश्चित किया जाए।कटान किए जा रहे पशुओं की निर्धारित संख्या एवं मानकों की कड़ाई से जांच हो।बाजार में मूल्य-निर्धारण की पारदर्शी व्यवस्था लागू की जाए।जमाखोरी अथवा कृत्रिम अभाव उत्पन्न करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए।रमज़ान जैसे पवित्र अवसर पर उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। समय रहते ठोस कदम उठाकर ही बाजार में संतुलन बनाए रखा जा सकता है तथा संभावित दुग्ध संकट को रोका जा सकता है।

होटल शांति गंगा में हुई व्यापार मंडल की बैठक

फतेहपुर।

जिला उद्योग व्यापार मंडल (पंजी0) की पूर्व निर्धारित एक बैठक होटल शांति गंगा में समपन्न हुई, जिसमें व्यापरियों ने सोहार्द और एकता को बढ़ावा देने के लिए होली -ईद मिलन समारोह आयोजित करने का निर्णय लिया। समारोह की जिम्मेदारी पदाधिकारियों के बीच वितरित की गई। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रवि प्रकाश दुबे ने कहा कि समारोह का उद्देश्य व्यापारी और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच भाईचारे को मजबूत करना है। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही समारोह की तारीख और स्थान की घोषणा की जाएगी। बैठक में वितरक संघ अध्यक्ष प्रकाश सिंह,

होली और ईद मिलन समारोह आयोजन का लिया निर्णय

समारोह का उद्देश्य भाईचारे को मजबूत करना-रवि प्रकाश दुबे

नगर अध्यक्ष राम बाबू मिश्रा, नगर महामंत्री सरदार वरिंदर सिंह, युवा जिलाध्यक्ष सरदार गुरमीत सिंह, जिला संगठन मंत्री राज कुमार गुप्ता, वितरक संघ उपाध्यक्ष राहुल गुप्ता, वितरक संघ महामंत्री बद्री विशाल गुप्ता, जिला मंत्री मो. इमरान ,सुरेश चंद गुप्ता , अब्दुल आरिफ, जिला उपाध्यक्ष वीरेंद्र साहू आदि व्यापारी रहे।

तुर्कमान गेट पत्थरबाजी मामला- कोर्ट ने छह आरोपियों को दी जमानत, जज बोले- व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हक

नई दिल्ली। दिल्ली की एक कोर्ट ने पिछले महीने तुर्कमान गेट में फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास तोड़फोड़ के दौरान हुई पत्थरबाजी की घटना के छह आरोपियों को जमानत दे दी है। एडिशनल सेशंस जज भूपिंदर सिंह ने मोहम्मद फैज, मोहम्मद अफफान, मोहम्मद इमरान, शहजाद, मोहम्मद इमरान और मोहम्मद फहीम को 50,000 रुपये के पर्सनल बॉन्ड और इतनी ही रकम की एक-एक जमानत पर राहत दी राज्य की ओर से एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अतुल श्रीवास्तव पेश हुए। आरोपियों की ओर से वकील एम असद बेग, मंजीत सैनी और अन्य पेश हुए। जज ने 25 फरवरी के एक आर्डर में कहा, आरोपों की गंभीरता को संविधान के आर्टिकल 21 के तहत मिले पर्सनल लिबर्टी के फंडामेंटल राइट के साथ बैलेंस करते हुए और केस के पूरे फैक्ट्स और हालात को ध्यान में रखते हुए, खासकर उनकी उम्र, साफ बैकग्राउंड, जेल में रहने का समय, बेल पर रिहा हुए को-आरोपी के बराबर होने और इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी न होने के आधार पर, मुझे बेल एप्लीकेशन में दम लगता है। कोर्ट ने कहा कि प्रॉसिक्यूशन द्वारा रिकॉर्ड पर रखे गए वीडियो सबूतों से आरोपियों की पहचान पक्की नहीं हो पाई, क्योंकि उनके चेहरे साफ तौर पर नहीं दिख रहे थे, और उनकी पहचान का पता लगाने के लिए फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही थी। कोर्ट ने आरोपियों को घटना से जोड़ने वाले मटीरियल को ध्यान से जांच करने को कहा, यह देखते हुए कि उन्हें मौके से नहीं पकड़ा गया था, बल्कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान बाद में गिरफ्तार किया गया था। सिर्फ एक सभा में मौजूदगी, बिना किसी साफ मटीरियल के एक्टिव पार्टिसिपेशन या खुलेआम कामों को दिखाए, प्री-ट्रायल स्टेज पर लगातार जेल में रखने को सही नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट ने कहा, इस समय, मटीरियल ऐसे किसी व्यक्ति के होने को पक्के तौर पर साबित नहीं करता है। इससे पहले, 17 फरवरी को, कोर्ट ने इस मामले में 12 आरोपियों को जमानत दे दी थी। कोर्ट ने इस मामले में बराबरी के सिद्धांत को मानते हुए कहा कि पहले के मामले से कोई अलग करने वाली बात नहीं थी, क्योंकि यह भी गैर-कानूनी तरीके से इकट्ठा होने और सोशल मीडिया पर मटीरियल फैलाने के ऐसे ही आरोपों से जुड़ा था। कोर्ट ने कहा, जमानत का मकसद ट्रायल के दौरान आरोपी की मौजूदगी पक्की करना है, और यह भी कहा कि इस स्टेज पर सबूतों की डिटेल में जांच करने या मामले के मेरिट पर नतीजे दर्ज करने की कोई जरूरत नहीं है। कोर्ट ने कहा, सिर्फ इसलिए जमानत देने से मना नहीं किया जा सकता कि जिस अपराध का आरोप है, उसके लिए कड़ी सजा है। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल से पहले हिरासत का मतलब सजा देना नहीं है, और इसलिए, उसे आरोप की गंभीरता को निजी आजादी के अधिकार के साथ बैलेंस करना चाहिए और यह पक्का करना चाहिए कि किसी व्यक्ति को तब तक हिरासत में न रखा जाए, जब तक कि न्याय के हित में ऐसी हिरासत की सच में जरूरत न हो। कोर्ट ने कहा कि, स्थानीय होने के नाते, किसी ने कोई कोशिश नहीं की थी। आरोपियों पर कानून के प्रोसेस से बचने का दबाव है। कोर्ट ने कहा कि सबूतों से छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि जांच पूरी हो चुकी है, चार्जशीट फाइल हो चुकी है.

सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी से कहा- माफी काफी नहीं; हार्ड कॉपी वापस लें, डिजिटल कॉपी हटाएं

नई दिल्ली। एनसीईआरटी की आठवीं कक्षा की किताब के विवादित अंश को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले पर सुनवाई के दौरान एनसीईआरटी की आठवीं की उस किताब पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके अध्याय में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार वाला हिस्सा है। किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार वाले अंश को लेकर उपजे विवाद पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ ने सुनवाई की। चीफ जस्टिस ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि इस मामले में एनसीईआरटी का माफी मांगना पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसी किताब बच्चों तक जाने देना गलत होगा। न्यायपालिका की गरिमा को बनाए रखना जरूरी है। शिक्षा सचिव और एनसीईआरटी को नोटिस जारी करते हुए सर्वोच्च अदालत ने कहा कि जब तक कोर्ट संतुष्ट नहीं हो जाता, सुनवाई जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को इस किताब की सभी कॉपियों को जब्त करने का आदेश दिया है और साथ ही इसके डिजिटल प्रिंट को भी हटाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर उसके इस आदेश के पालन में कोताही बरती गई तो गंभीर कार्रवाई की जाएगी। सर्वोच्च अदालत ने एनसीईआरटी के निदेशक, स्कूली शिक्षा सचिव को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया है और ये पूछा है कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि यह न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए जानबूझकर किया गया कृत्य लगता है। सुनवाई के दौरान एनसीईआरटी ने कहा कि वे बिना शर्त माफी मांगने को तैयार है। किताब से विवादित अंश को भी हटा दिया जाएगा। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि केवल माफी मांगना और किताब से आपत्तिजनक अंशों को हटाना पर्याप्त नहीं है। एनसीईआरटी के निदेशक को कारण बताना होगा। ये सोच-समझकर उठाया गया कदम है। अदालत ने सवाल किया कि इस मामले को अवमानना क्यों न माना जाए? पीठ ने कहा कि मामला आपराधिक अवमानना के दायरे में आता है। हम इसकी विस्तृत जांच चाहते है। अदालत ने कहा कि अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो इससे

एनसीईआरटी विवाद पर शिक्षा मंत्री की सफाई, बोले- न्यायपालिका का अपमान करने की कोई मंशा नहीं

लोगों का न्यायपालिका में विश्वास कमजोर होगा। किसी को भी ऐसा करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनसीईआरटी ने बुधवार को जो जवाब दिया है, उसमें एक भी शब्द माफी वाला नहीं है और इसके बजाय वे इसे सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्त माफी मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 11 मार्च तक टाल दी है। सीजेआई ने जताई नाराजगी, कहा- किसी को भी न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाजत नहीं गौरतलब है कि बुधवार को वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और मुकुल रोहतगी ने सीजेआई के सामने यह मामला उठाया था। इसके बाद, मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने एनसीईआरटी किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार चैप्टर पर कड़ी नाराजगी जताई। सीजेआई ने कहा कि किसी को भी न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। नाराजगी जाहिर करते हुए सीजेआई ने कहा, संस्था का प्रमुख होने के नाते मैंने हमेशा अपने दायित्व को निभाया है। मैं किसी को इस बात की इजाजत नहीं दूंगा कि वो न्यायपालिका को बदनाम करें। किसी कीमत पर मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा, कोई कितना भी बड़ा क्यों न हो। कानून अपना काम करेगा। मैं जानता हूं कि इससे कैसे निपटा जाए। मैं स्वतः संज्ञान ले रहा हूं। दरअसल, एनसीईआरटी ने 24 फरवरी को कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की नई किताब जारी की, लेकिन किताब के एक अध्याय में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का एक सेक्शन था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद एनसीईआरटी (राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद) ने माफी मांगी है और विवादित चैप्टर वाली कक्षा 8 की किताब के वितरण पर रोक लगाई है।

इस्राइली राष्ट्रपति और मोदी की मुलाकात

***मोदी और नेतन्याहू में मीटिंग जारी, डिफेंस डील संभव**
***पीएम ने नरसंहार में मारे गए यहूदियों को श्रद्धांजलि दी;**
***इजराइली राष्ट्रपति को भारत आने का न्योता**

नई दिल्ली। इस्राइल दौरे के दूसरे दिन, गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी याद वाशेम पहुंचे।

जहां उन्होंने नाजी शासन में मारे गए 60 लाख यहूदियों को श्रद्धांजलि अर्पित की और इसके बाद प्रेसिडेंशियल गार्डन में राष्ट्रपति हर्जोग के साथ एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पेड़ लगाया। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर साझा एक पोस्ट में इसे नरसंहार के पीड़ितों को दिया गया सम्मान बताया। उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस सेंटर, याद वाशेम का दौरा किया। यह पीएम का याद वाशेम का दूसरा दौरा था। पीएम ने होलोकॉस्ट पीड़ितों को फूल चढ़ाए और श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम ने दिल को छू लेने वाले बुक ऑफ नेम्स हॉल का भी दौरा किया, जो होलोकॉस्ट के दौरान मारे गए लाखों लोगों की याद को सहेजे हुए है। पोस्ट के अनुसार, यह मेमोरियल अतीत की क्रूरता और अन्याय के खिलाफ खड़े होने और एक बेहतर दुनिया बनाने के हमारे मिलकर किए गए इरादे की याद दिलाता है।

प्रधानमंत्री मोदी का अगला पड़ाव राष्ट्रपति हर्जोग से मुलाकात थी। दोनों ने भारत-इजरायल की साझेदारी को और मजबूत करने पर विचार किया। एमईए की पोस्ट के अनुसार, पीएम ने राष्ट्रपति संग एजुकेशन, स्टार्ट-अप्स, इनोवेशन, टेक और कनेक्टिविटी में सहयोग को और बढ़ाने के तरीकों पर सार्थक चर्चा की। इसके बाद दोनों ने एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत प्रेसिडेंशियल गार्डन में एक पौधा लगाया। पीएम ने राष्ट्रपति हर्जोग को जल्द ही भारत आने का न्योता भी दिया। पीएम मोदी की दो दिन की राजकीय यात्रा गुरुवार को समाप्त हो रही है, इससे पहले दोनों देशों के पीएम प्रेस को भी संबोधित करेंगे। बुधवार को पीएम को इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा ने एयरपोर्ट पर रिसीव किया था। इसके बाद पीएम मोदी ने इजरायली संसद नेसेट को भी संबोधित किया। वे इजरायली संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए। उन्हें संसद का सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से भी नवाजा गया। अपने संबोधन में नेतन्याहू ने पीएम मोदी को अपना सच्चा मित्र और मित्र से बढ़कर भाई तक बताया। नेतन्याहू ने भारत के प्रधानमंत्री को दुनिया का महान नेता बताते हुए मोदी हग का भी जिक्र किया।

भारत सेमीफाइनल से एक जीत दूर, जिम्बाब्वे को 72 रन से हराया

स्पोर्ट्स डेस्क।

भारत ने टी-20 वर्ल्ड कप के सुपर-8 पहली जीत हासिल की है। टीम इंडिया ने गुरुवार के दूसरे मैच में जिम्बाब्वे को 72 रन से हराया। इसी के साथ सुपर-8 ग्रुप-1 से साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में पहुंच गई है। चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। टीम इंडिया ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 256 रन बनाए। जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 20 ओवर में 6 विकेट पर 184 रन ही बना सकी। हार्दिक पंड्या प्लेयर ऑफ द मैच रहे। मैच का स्कोरबोर्ड

अभिषेक-पंड्या ने फिफ्टी लगाई; साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में पहुंचा

अभिषेक-पंड्या की फिफ्टी, तिलक ने नाबाद 44 बनाए

भारतीय टीम की ओर से अभिषेक शर्मा (55 रन) और हार्दिक पंड्या (नाबाद 50) फिफ्टी बनाई। वहीं, तिलक वर्मा ने नाबाद 44 रन बनाए। जिम्बाब्वे से रिचर्ड नगारवा, ब्लेसिंग मुजरबानी, तिनोतेंदा मपोसा और सिकंदर रजा ने एक-एक विकेट लिए।

ब्रायन बेनेट 3 रन से शतक चूके

257 रन का टारगेट चेज कर रही जिम्बाब्वे की शुरुआत धीमी रही। उसके बाद टीम ने मिडिल ओवर्स के फेज में नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए। लेकिन, ओपनर ब्रायन बेनेट ने एक छोर संभाले रहा। उन्होंने नाबाद 97 रन बनाए, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके।

अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट झटके

भारतीय टीम की ओर से अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट झटके। उनके अलावा, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल और शिवम दुबे को एक-एक विकेट मिला।

-: एआई समिट मामला:-

गिरफ्तारी के खिलाफ आईवाईसी ने शुरू किया सत्याग्रह, कहा- दिल्ली पुलिस की कार्रवाई बेबुनियाद

नई दिल्ली। इंडियन यूथ कांग्रेस ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में अपने अध्यक्ष उदय भानु चिब और अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के खिलाफ 'सत्याग्रह' शुरू किया। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि कई पार्टी पदाधिकारी विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आईवाईसी कार्यालय पहुंचे हैं और उन्होंने दावा किया कि यह प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहेगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि हमने शांतिपूर्ण सत्याग्रह शुरू किया है। कई वरिष्ठ नेता आईवाईसी कार्यालय पहुंचे हैं और हम शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने दावा किया कि आईवाईसी ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए अधिकारियों से अनुमति भी मांगी थी, लेकिन उनका अनुरोध खारिज कर दिया गया।

किसान की सुरक्षा-सम्मान से ही भारत सफल होगा- राहुल

कन्नूर। केरल दौरे पर पहुंचे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर केंद्र सरकार को जमकर घेरा। कन्नूर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भारत तभी सफल हो सकता है जब हमारे किसानों का सम्मान और सुरक्षा हो। इतना ही नहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एपस्टीन फाइलों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकाने के लिए किया ताकि वे एक ऐसे व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करें जिससे भारतीय किसानों की बलि चढ़ जाएगी। लोकसभा में विपक्ष के नेता कन्नूर जिले के पेरावूर में किसानों के एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार इस सरल तथ्य को नहीं समझती कि किसान भारत की नींव हैं। उन्होंने कहा कि आईटी और अन्य क्षेत्रों के बारे में लंबे-लंबे व्याख्यान दिए जाते हैं, लेकिन नींव को मजबूत किए बिना कुछ भी नहीं बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा, यदि आप नींव का सम्मान नहीं करते, तो कुछ भी नहीं बन सकता। नींव बनाने वाले को सम्मान या सुरक्षा नहीं मिलती। हम हर दिन भोजन करते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि उसे हमारे खाने की मेज पर कौन रखता है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ एक ऐसा समझौता किया, जो नींव खोदने जैसा था। उन्होंने कहा, भारतीय किसान छोटे किसान हैं और उनमें मशीनीकरण का स्तर कम है। अमेरिकी किसानों के पास विशाल खेत हैं और उनमें मशीनीकरण का स्तर उच्च है। अमेरिकी कंपनियों को भारतीय बाजारों तक पहुंच प्रदान करना एक आपराधिक कृत्य है। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि पहले के किसी भी प्रधानमंत्री ने अमेरिकी

राहुल गांधी ने सरकार को यूएस ट्रेड डील पर घेरा

किसानों को भारत में सोयाबीन, सब्जियां और फल जैसे उत्पाद बेचने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा, इससे भारतीय कृषि की नींव नष्ट हो जाएगी। हरित क्रांति और श्वेत क्रांति किसानों के लिए ही हुई थी।

अमेरिका राष्ट्रपति पीएम को धमकी दे रहे थे- राहुल गांधी

राहुल गांधी ने कहा कि कृषि संबंधी मतभेदों के कारण भारत-अमेरिका समझौता चार महीने से रुका हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया, भारतीय सरकार अमेरिकी कंपनियों के लिए कृषि क्षेत्र खोलना नहीं चाहती थी। कुछ भी प्रगति नहीं हो रही थी और अमेरिकी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को धमकी दे रहे थे। उन्होंने आगे दावा किया कि राष्ट्रपति के संबोधन के बाद उन्हें संसद में बोलने की अनुमति नहीं दी गई क्योंकि वे दो मुद्दे उठाना चाहते थे। उन्होंने कहा, एक मुद्दा एपस्टीन की उन 35 लाख फाइलों से संबंधित था, जो अभी तक सामने नहीं आई हैं। ये फाइलें अमेरिकी सरकार द्वारा गुप्त रखी गई हैं और कथित तौर पर इनमें भारत के प्रधानमंत्री के बारे में जानकारी शामिल है। दूसरा मुद्दा अमेरिका में अडानी का मामला था। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका में अडाणी समूह के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है और यह मामला प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ है। गांधी ने आरोप लगाया कि इन्हीं कारणों से प्रधानमंत्री भारत की नींव को नष्ट करने को तैयार हैं। भारतीय किसानों की बलि दी जा रही है ताकि प्रधानमंत्री अपनी और भाजपा की वित्तीय संरचना की रक्षा कर सकें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भारत और केरल के किसानों को बलि का बकरा नहीं बनने देगी।

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद मामला: पीड़ित बच्चों की मेडिकल रिपोर्ट में यौन उत्पीड़न की पुष्टि!

प्रयागराज। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, उनके शिष्य मुकुंदानंद समेत अन्य के खिलाफ दर्ज मुकदमे की विवेचना को आगे को बढ़ाते हुए पुलिस ने दोनों पीड़ित बच्चों का बेली अस्पताल में मेडिकल टेस्ट करवाया। गुरुवार को बेली अस्पताल की ओर से पुलिस को बंद लिफाफे में रिपोर्ट मिली। सूत्रों का दावा है कि मेडिकल में बच्चों से यौन उत्पीड़न की पुष्टि हुई है। हालांकि पुलिस अधिकारी इस पर बयान देने से कतरा रहे है।

फिलहाल मुकदमे के विवेचक की ओर से मेडिकल रिपोर्ट को विवेचना में शामिल करते हुए छानबीन को आगे बढ़ाएगी। झूंसी पुलिस ने बुधवार को दोनों नाबालिग लड़कों को मेडिकल कराने के लिए पहले सीएचसी की सहायता ले गई। वहां पर डॉक्टरों ने बच्चों को नाबालिग बताते हुए बेली अस्पताल भेजा। वहां पुलिस ने दोनों बच्चों का मेडिकल टेस्ट करवाया, जिसकी रिपोर्ट आज यानी गुरुवार को पुलिस को मिली है। अस्पताल और पुलिस सूत्रों का कहना है कि मेडिकल में यौन उत्पीड़न की बात फिलहाल सही पाई गई है। हालांकि इस पर कोई अभी कोई अधिकारी और डॉक्टर अधिकृत रूप से कुछ नहीं बोल रहे है। इसके पूर्व बच्चों को कोर्ट में पेश करते हुए उनका बयान दर्ज कराया गया था। बुधवार को अदालत के सामने दोनों नाबालिग लड़कों ने यौन उत्पीड़न की घटना को बताया। इस दौरान उन्होंने मुकुंदानंद समेत कई लोगों का नाम भी लेते हुए यौन उत्पीड़न के आरोप मढ़े। कोर्ट में कलमबंद बयान होने के बाद अब पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी।

जापान में सीएम योगी को बच्चे ने किया दंडवत प्रणाम, संस्कृत में सुनाया श्लोक

जापान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों जापान के दौरे पर हैं. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उनका यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है. इस यात्रा का मकसद प्रदेश में विदेशी निवेश को बढ़ावा देना, औद्योगिक सहयोग मजबूत करना और उत्तर प्रदेश व जापान के बीच आर्थिक संबंधों को नई दिशा देना है. राज्य सरकार की ओर से लगातार कोशिश की जा रही है कि इंटरनेशनल कंपनियां यूपी में निवेश करें, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ें और प्रदेश के विकास को गति मिले. मुख्यमंत्री का यह दौरा केवल आर्थिक रूप से नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक जुड़ाव के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. जापान के यामानाशी क्षेत्र में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने वहां रहने वाले भारतीय समुदाय से मुलाकात की. बड़ी संख्या में जापान भारतीय परिवार और बच्चे उनसे मिलने पहुंचे. विदेश की धरती पर अपने राज्य के मुख्यमंत्री को सामने पाकर लोगों में अलग उत्साह देखने को मिला. सीएम ने प्रवासी भारतीयों से बातचीत की और उनकी उपलब्धियों की तारीफ की. वहीं इस मुलाकात का सबसे भावुक पल तब आया जब एक छोटे बच्चे ने मुख्यमंत्री को दंडवत प्रणाम किया. बच्चे ने पारंपरिक तरीके से सीएम के चरण स्पर्श कर सम्मान जताया और संस्कृत श्लोक सुनाया. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, वीडियो में देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री भी इस स्नेह और संस्कार से अभिभूत नजर आए. उन्होंने बच्चे को आशीर्वाद दिया वहीं विदेश की धरती पर भारतीय संस्कारों की ऐसी झलक ने सोशल मीडिया पर लोगों का दिल छू लिया और इस वीडियो को खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने शेयर किया.

सीमांचल से चुन-चुनकर निकाले जाएंगे घुसपैठिए

अररिया में अमित शाह का बड़ा ऐलान, एसएसबी की नई परियोजनाओं की शुरुआत

अररिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को बिहार के अररिया जिले में सशस्त्र सीमा बल की लेटी और इंदरवा सीमा चौकियों पर कई परियोजनाओं का उद्घाटन और ई-शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने भारत-नेपाल सीमा की सुरक्षा और सीमांचल में जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों पर कड़ा संदेश दिया। अमित शाह ने अपने संबोधन में साफ किया कि केंद्र सरकार बिहार के सीमांचल क्षेत्र को घुसपैठियों से मुक्त करने के लिए एक निर्णायक अभियान शुरू करने जा रही है। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को हटाने का मतलब केवल मतदाता सूची से नाम काटना नहीं है, बल्कि उन्हें भारतीय धरती से पूरी तरह बाहर करना है। अंतरराष्ट्रीय सीमा के 10 किलोमीटर के दायरे में होने वाले सभी अवैध कब्जों और निर्माणों को ध्वस्त किया जाएगा। घुसपैठ न केवल चुनावों को प्रभावित करती है, बल्कि गरीबों के हक का राशन और युवाओं के रोजगार भी छीनती है। सीमांचल क्षेत्र में सीमा के 10 किलोमीटर के अंदर के सारे अवैध अतिक्रमण ध्वस्त होंगे। भारत और नेपाल के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का जिक्र करते हुए गृह मंत्री ने जवानों को सावधान किया। उन्होंने कहा कि भले ही पड़ोसी देश मित्र है, लेकिन देशद्रोही तत्व इस खुले रास्ते का फायदा उठाकर भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर सकते हैं। उन्होंने सबको अपनी खुफिया नेटवर्किंग मजबूत करने और सीमावर्ती गांवों के निवासियों के साथ बेहतर तालमेल बिठाने की सलाह दी। अमित शाह ने दावा किया कि घुसपैठ के कारण पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार की जनसांख्यिकी में बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने बंगाल चुनाव का जिक्र करते हुए विश्वास जताया कि वहां भाजपा की सरकार बनते ही सीमा पर बाड़ लगाने का काम पूरा किया जाएगा और घुसपैठियों को बाहर निकालना प्राथमिकता होगी।

ये संघ की शरारत, इस पर सुप्रीम कोर्ट का गुस्सा जायज, एनसीईआरटी विवाद को लेकर कांग्रेस ने साधा निशाना

नई दिल्ली। एनसीईआरटी विवाद को लेकर कांग्रेस ने संघ पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का इस मामले पर गुस्सा जायज है। कांग्रेस पार्टी ने दावा किया कि पिछले एक दशक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने शरारत और द्वेष के साथ किताबों को फिर से लिखा है और ये मामला उसी का नतीजा है। कांग्रेस का यह बयान ऐसे समय सामने आया है, जब सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एनसीईआरटी की आठवीं की एक किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार वाले हिस्से पर कड़ी नाराजगी जाहिर की और किताब पर प्रतिबंध लगा दिया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा, एनसीईआरटी की किताबों में न्यायपालिका के आलोचना वाले जिक्र पर सुप्रीम कोर्ट का गुस्सा जायज है। उन्होंने लिखा, असल में, पिछले दस वर्षों में जिस तरह से एनसीईआरटी की टेक्स्टबुक्स को फिर से लिखा गया है, वह शर्मनाक होने के साथ-साथ खतरनाक भी है। यह संघ की शरारत और द्वेष से भरी कोशिश है। इसकी जांच होनी चाहिए।